दिनांक 21.07.2022
प्रेस विज्ञप्ति 21/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद आगरा/थाना न्यू आगरा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 20.07.2022 को थाना न्यू आगरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लालगढ़ी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–राहुल 2–शिवराम उर्फ पिन्टा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राहुल के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग एवं अभियुक्त शिवराम उर्फ पिन्टा के विरूद्ध जनपद आगरा, फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना न्यू आगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 237/2022 धारा 223/224/225/332 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राहुल निवासी इन्द्रपुरी जलेसर रोड जनपद फिरोजाबाद।

2—शिवराम उर्फ पिन्टा निवासी दौलतपुर थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना भोपा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 20/21.07.2022 की रात्रि थाना भोपा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बिहारगढ फिल्म सिटी के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त गौरव नेपाली घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भोपा पर पंजीकृत मु0अ0सं0—173/2022 धारा 302/120बी भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भोपा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गौरव नेपाली हाल निवासी मोरना थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद मेरठ/थाना लिसाडी गेट

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 21.07.2022 को थाना लिसाडी गेट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शौकिन गार्डन पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त नवाब घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, मेरठ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना लिसाडी गेट पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लिसाडीगेट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नवाब निवासी पूर्वा इलाही बक्श थाना कोतवाली जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद मैनपुरी/थाना कोतवाली

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 21.07.2022 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ज्योति तिराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुनील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुनील निवासी कैरावली थाना करहल जनपद मैनपुरी।

गिरफ्तार

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद मैनपुरी/थाना कोतवाली

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 21.07.2022 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लोहिया पार्क के सामने से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कुलदीप को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कुलदीप निवासी नगला कीरत काशीराम कालोनी थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

जनपद अलीगढ़/थाना क्वार्सी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने के आभूषण**
- **चोरी के 01 लाख 85 हजार 330 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 21.07.2022 को थाना क्वार्सी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छर्रा अड्डा पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1–अजीम 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने के आभूषण, चोरी के 01 लाख 85 हजार 330 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.06.2022 को थाना क्वार्सी क्षेत्रान्तर्गत चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना क्वार्सी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना क्वार्सी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अजीम निवासी मो0जलालपुर थाना रोरावर जनपद अलीगढ़।

2–अभियुक्ता।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के सोने के आभूषण।

2–चोरी के 01 लाख 85 हजार 330 रूपये नगद।

<u>जनपद बलिया/थाना कोतवाली</u>

- **04 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 20.07.2022 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज तिराहा बलिया के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–सतीश 2–संतोष 3–राजा कुमार 4–छोटू उर्फ मेल्हू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जो जनपद बलिया व आसपास के जनपदो से वाहनों की चोरी कर ग्राहक मिलने पर सस्ते दामों में बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सतीश निवासी गोठौली थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया।

2–संतोष निवासी जजौली थाना भीमपुरा जनपद बलिया।

3–राजा कुमार निवासी रतसड़ थाना गडवार जनपद बलिया।

4–छोटू उर्फ मेल्हू निवासी रतसड़ थाना गडवार जनपद बलिया।

बरामदगी

1–चोरी की 07 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **विभिन्न बैंको के 118 एटीएम कार्ड**
- **ठगी के 06 हजार रूपये नगद**
- **01 सोने की चैन**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद**

दिनांक 20.07.2022 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–विजय कुमार 2–सोहनलाल उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से विभिन्न बैंको के 118 एटीएम कार्ड, ठगी के 06 हजार रूपये नगद, 01 सोने की चैन, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो एटीएम मशीन के पास रैकी कर भोले भाले व बुजुर्ग व्यक्तियों की मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदलकर रूपये निकाल लेते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–विजय कुमार निवासी कमालपुर थाना जामो जनपद अमेठी।

2–सोहनलाल उर्फ सोनू निवासी वंछरामपुर कोतवाली बीकापुर जनपद अयोध्या।

<u>बरामदगी</u>

1–विभिन्न बैंको के 118 एटीएम कार्ड।

2–ठगी के 06 हजार रूपये नगद।

3–01 सोने की चैन।

4–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

➢ **<u>जनपद मेरठ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद मेरठ पुलिस ने अभियुक्त तसलीम पुत्र मोहम्मद हफीज थाना रेलवे रोड जनपद मेरठ द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी भाराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से टाटा कन्टेनर ट्रक में रखी हुई 272 पेटी अवैध अंग्रेजी भाराब बरामद।</u>

दिनांक 21–07–2022 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 272 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब सहित टाटा कन्टेनर ट्रक बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-</u>

1— वादिल हसन पुत्र मुन्शी नि0 ग्राम अलीपुर, थाना कैराना, जनपद शामली।

2— सरवर अली पुत्र सराफत अली नि0 भडावल, थाना कैराना शामली।

<u>बरामदगीः-</u>

1— 272 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब। (99 पेटी डिस्काउण्ट प्रिमियम व्हिस्की, 173 पेटी किंग गोल्ड स्पेशल)

2— 01 अदद टाटा कन्टेनर ट्रक यूपी 21 बीएन 8796

3— 02 अदद मोबाइल फोन।

4— 01 अदद आधार कार्ड।

5— 01 अदद पैन कार्ड।

6— नकद 1,700/— रूपये।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>

इण्डियन आयल तिराहा नेशनल हाईवे—2, थाना कोतवाली, औरैया। दिनांक 21—07—2022 समय 04.50 बजे प्रातः।

विगत कुछ समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा पंजाब, हरियाणा से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी उत्तर प्रदेष के रास्ते बिहार व उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। उक्त निर्देष के क्रम में डा0 राकेश कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के नेतृत्व में टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 20—07—2022 को एस0टी0एफ0 लखनऊ के उ0नि0 घनश्याम यादव, मु0आ0 विनोद सिंह, कुलदीप सिंह आरक्षी मुकेश प्रजापति दिलीप, राजेश शिवभोला

शुक्ला की टीम जनपद औरैया में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से मौजूद थी, कि मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि शराब तस्करों द्वारा हरियाणा व चण्डीगढ़ से अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय हेतु दिल्ली–लखनऊ नेषनल हाईवे के रास्ते लखनऊ ले जायी जा रही है। इस सूचना पर विष्वास कर एस0टी0एफ0 टीम तत्काल मुखबिर द्वारा बताये हुये स्थान पर पहॅुचकर वाहन का इन्तजार करने लगे। एसटीएफ टीम द्वारा समुचित तैयारी के साथ स्थानीय आबकारी विभाग को सूचित करते हुए उक्त वाहन को इण्डियन आयल तिराहा (नेशनल हाईवे–2) के पास रोककर चेक किया गया, तो उक्त कन्टेनर ट्रक में आर्युवेदिक पतांजलि दवाईयों के पेटियों के नीचे अवैध अंग्रेजी शराब व्यवस्थित ढ़ंग से छिपायी गयी थी, जिस पर उक्त कन्टेनर ट्रक पर लदी अवैध अंग्रेजी शराब को कब्जे में लेकर 02 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया।

विस्तृत पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि यह ट्रक शहजाद आलम निवासी गंगदासपुर का है। शहजाद आलम मुरादाबाद, जुल्फिकार व कासिम निवासी शामली आदि का शराब तस्करी का एक गिरोह है, जिनके द्वारा चण्डीगढ़/हरियाणा की अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी का काम उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात व अन्य राज्यों में किया जाता है। उक्त गिरोह के लोगों द्वारा ही यह अवैध अंग्रेजी शराब चण्डीगढ़ से लखनऊ में शहजाद को भेजी जा रही थी। इन लोगों द्वारा बताये गये स्थान पर हम लोग गाड़ी पहॅुचा देते है। वहॉ पर इनके आदमी आते है और गाड़ी लेकर चले जाते है और शराब उतारकर गाड़ी वापस कर देते है। अब तक हम लोगों द्वारा लगभग 10 से से अधिक बार अलग–अलग स्थानों पर अवैध शराब की तस्करी को अंजाम दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कोतवाली औरैया, जनपद–औरैया में मु0अ0सं0 570/2022 धारा 420, 467, 468, 471, 34,120बी भादवि व 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराते हुए दाखिल किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0—थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 522/2021 धारा 420/467/ 468/471 भादवि, 4/10 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम व 66डी आईटी एक्ट में वांछित राजीव नयन मिश्र उर्फ राहुल लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांक 21—07—2022 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 522/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि, 4/10 सार्वजनिक परीक्षा अधि0 व 66डी आईटी एक्ट में वांछित राजीव नयन मिश्र उर्फ राहुल को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

राजीव नयन मिश्र उर्फ राहुल पुत्र स्व0 दीनानाथ मिश्र नि0 ग्राम बरवा शुकुलपुर, थाना—मेजा, जनपद—प्रयागराज।

बरामदगीः

1— 01 अदद मोबाइल

2— 1,100 रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय—

स्थानः—चारबाग मेट्रो स्टेशन के पास दिनांक 21—07—2022 समय 06:15 बजे।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28—11—2021 को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कुल 2736 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) 2021 होनी थी, जिसे सुचितापूर्ण, पारदर्शी, नकल विहीन तरीके से कराये जाने हेतु एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में सभी टीमों/इकाईयों द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं में अभ्यर्थियो को उत्तीर्ण कराने के लिए कुछ व्यक्ति स्वंय तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक भौतिक लाभ के लिए संगठित गिरोह

बनाकर प्रश्न पत्रों को अवैध तरीके से आउट कराकर प्रश्न पत्रों को भारी दाम पर अभ्यर्थियों को बेचकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे है। इस गिरोह द्वारा दिनांक 28–11–2021 को उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयेजित होने वाली सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा–2021 के प्रश्न पत्र को अवैध तरीके से अभ्यर्थियो को लाभ पहुॅचाने के लिए भारी मात्रा में धन लेकर प्रश्न पत्र आउट कराने की एसटीएफ को सूचना मिली थी। जिस पर एसटीएफ की विभिन्न टीमों/इकाईयो द्वारा अलग–अलग जनपदों से काफी संख्या में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से भारी मात्रा में प्रश्नपत्र की छायाप्रति, मोबाइल के व्हाटसएप पर प्रश्नपत्रों की फोटों, पेन ड्राइव आदि बरामद कर उनको जेल भेजा गया।

उपरोक्त सम्बन्ध में जनपद कौशाम्बी के थाना कोखराज में भी मु0अ0सं0 522/21 धारा 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0, धारा 4/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम एवं 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था, जिसमें अभियुक्त रोशन सिंह पटेल को दिनांक 28–11–2021 को देव प्रकाश पाण्डेय को दिनांक 02–12–2021 को तथा संतोष चौरसिया को दिनांक 15–12–2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के पश्चात अभियुक्त राजीव नयन मिश्र का नाम प्रकाश में आया था, जो वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्री लाल प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था और अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ टीम को विशवस्त्र सूत्रों से हुआ कि उक्त अभियुक्त जनपद लखनऊ मे मौजूद है, जिस पर उ0नि0 आदित्य सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 प्रभाकर पाण्डेय, प्रभन्जन पाण्डेय, आरक्षी प्रशान्त सिंह की एक टीम द्वारा वांछित अभियुक्त राजीव नयन को जनपद लखनऊ के चारबाग क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह टीआईटी कालेज भोपाल से इलेक्ट्रानिक कम्यूनिकेशन में बीटेक किया है। कुछ दिन नौकरी करने के बाद उसने

अपना व्यवसाय शुरू किया। कई कम्पनियों के माध्यम से मैन पावर सप्लाई आदि का काम करता है। संतोष चौरसिया से दिल्ली के मित्र जितेन्द्र के जरिये टीईटी परीक्षा—2021 के कुछ माह पहले दिल्ली में मिला था। संतोष चौरसिया से मुलाकात के बाद मुझे जानकारी हुई कि वह पेपर आउट से सम्बन्धित व्यापम केस में जेल जा चुका है। संतोष चौरसिया इससे पेपर आउट कराने की बात करता था तथा बताता था कि इस काम में बहुत पैसा है। संतोष चौरसिया के मांगने पर एक बार इसने उसके एकाउण्ट में रू0 10 हजार डाला था। परीक्षा के एक दिन पूर्व दिनांक 27—11—2021 को रात्रि में संतोष चौरसिया ने इसको पेपर भेजा था। संतोष चौरसिया इससे कहता था कि उसकी प्रेस के लोगों से सेटिंग हो जाती है एवं पेपर आउट कराने वाले पूर्वाचल के कुख्यात नकल माफियाओं से उसका सम्पर्क है। उन्ही के जरिये पेपर आउट कराता था तथा उसी ने टीईटी परीक्षा का पेपर आउट कराया था।

इससे पूर्व अभियुक्त राजीव नयन मिश्र की वरना हुण्डई कार व उसमें रखे पासपोर्ट व जिन कालेजो में इसकी सेटिंग थी उससे सम्बन्धित कागजात हजरतगंज लखनऊ से बरामद कर थाना कोखराज, कौशाम्बी में दाखिल किया जा चुका है।

अभियुक्त राजीव नयन मिश्र को जनपद कौशाम्बी के थाना कोखराज मे पंजीकृत अभियोग में दाखिल किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

——————————